

क्र.-बोर्ड कार्मिक/अनु.नियु./ख/727 पार्ट-03/408
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24/02/2022

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
.....जिला..... (M0प्र0)

विषय:- सहायक ग्रेड-3 संवर्ग में अनुकम्पा नियुक्ति की सहमति/अनुमति के संबंध में।

--00--

म.प्र.राज्य मंडी बोर्ड सेवा/मंडी समिति सेवा के दिवंगत सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों का म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं.सी-3-12/2013/1/3, दिनांक 29 सितम्बर 2014 के दिशा निर्देशों के तहत परीक्षण उपरांत, मान्यता प्राप्त संस्था से 03(तीन) वर्ष में सी.पी.सी.टी एवं कम्प्यूटर डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही आगामी वेतन वृद्धि देय होने तथा अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रिया में अनियमितता प्रमाणित पाये जाने की दशा में अनुकम्पा नियुक्ति आदेश को संशोधित/निरस्त किया जा सकने, की शर्तों के अध्याधीन, शासन द्वारा जारी नवीन जिला स्तरीय सीधी भर्ती रोजर के आधार पर संयुक्त संचालक/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ऑचलिक कार्यालयों से संभाग अंतर्गत कृषि उपज मंडी समितियों में सहायक ग्रेड-3 संवर्ग के रिक्त पदों की प्राप्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित आवेदकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कृषि उपज मंडी समितियों में सहायक ग्रेड-3 संवर्ग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जाने की सहमति प्रदान की जाती है:-

| स. क्र. | मृतक कर्मों का नाम/पदनाम/मृत्यु पूर्व पदस्थ स्थल | मृतक कर्मों की मृत्यु दिनांक | अनुकम्पा नियुक्ति आवेदक का नाम/मृतक कर्मों से संबंध | आवेदक की जाति/वर्ग | अनुकम्पा नियुक्ति की सहमति स्थल |
|---------|--|------------------------------|---|--------------------|--|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 1. | स्व. श्री महेश सोनी, सहायक उपनिरीक्षक कृषि उपज मण्डी समिति भीकनगाँव जिला खरगौन | 01.01.2021 | श्री गणेश सोनी पुत्र | अन्य पिछडा वर्ग | कृषि उपज मण्डी समिति, देवास जिला देवास |
| 2. | स्व. श्री द्वारिका प्रसाद शर्मा, सहायक उपनिरीक्षक कृषि उपज मण्डी समिति सबलगढ जिला मुरैना | 21.09.2021 | कुमारी सीमा शर्मा पुत्री | सामान्य | कृषि उपज मण्डी समिति, सबलगढ जिला मुरैना |
| 3. | स्व. श्री हरीराम अहिरवार, सहायक ग्रेड-3 कृषि उपज मण्डी समिति गंजबसौदा जिला विदिशा | 02.10.2021 | श्री निखिल अहिरवार पुत्र | अनुसूचित जाति | कृषि उपज मण्डी समिति, सिरोंज जिला विदिशा |

40

| क्र. | मृतक कर्मियों का नाम/पदनाम/मृत्यु पूर्व पदस्थी स्थल | मृतक कर्मियों की मृत्यु दिनांक | अनुकम्पा नियुक्ति आवेदक का नाम/मृतक कर्मियों से संबंध | आवेदक की जाति/वर्ग | अनुकम्पा नियुक्ति की सहमति स्थल |
|------|--|--------------------------------|---|--------------------|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 4. | स्व. नंदराम अहिरवार, सहायक उपनिरीक्षक कृषि उपज मण्डी समिति गुना जिला गुना | 29.04.2021 | श्री अरविंद हिन्दोलिया पुत्र | अनुसूचित जाति | कृषि उपज मण्डी समिति मक्सूदनगाढ, जिला गुना |
| 5. | स्व. श्री कारूलाल कुमावत, सहायक उपनिरीक्षक कृषि उपज मण्डी समिति मंदसौर जिला मंदसौर | 21.07.21 | सुश्री भागवती कुमावत पुत्री | अन्य पिछडा वर्ग | कृषि उपज मण्डी समिति, सीतामउ जिला मंदसौर |
| 6. | स्व. श्री प्रेमलाल दमाहे, सहायक उपनिरीक्षक कृषि उपज मण्डी समिति बिछिया जिला मण्डला | 09.09.2021 | श्री नीलेश दमाहे पुत्र | अन्य पिछडा वर्ग | कृषि उपज मण्डी समिति, सागर जिला सागर |
| 7. | स्व. श्री रविन्द्र वाणी, सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति जोबट जिला अलीराजपुर | 02.11.2021 | श्री दुर्गेश वाणी पुत्र | अन्य पिछडा वर्ग | कृषि उपज मण्डी समिति, देवास जिला देवास |
| 8. | स्व. श्री संजु मर्सकोले, भृत्य कृषि उपज मण्डी समिति खैरलांजी जिला बालाघाट | 03.09.2020 | श्रीमती निशा मर्सकोले पत्नि | अनुसूचित जन जाति | कृषि उपज मण्डी समिति, खैरलांजी जिला बालाघाट |
| 9. | स्व. गणपति चिन्चे, भृत्य, कृषि उपज मण्डी समिति खरगौन जिला खरगौन | 31.10.2021 | श्री भानू चिन्चे पुत्र | सामान्य | कृषि उपज मण्डी समिति, भीकनगाँव जिला खरगौन |

संबंधित कृषि उपज मंडी समितियों में अनुकम्पा नियुक्ति देने बावत् आदेश का प्रारूप संलग्न

है। अतः दी गई सहमति के आधार पर 15 दिवस में अनुकम्पा नियुक्ति आदेश कृषि उपज मंडी समिति से जारी कर पालन प्रतिवेदन से इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराना सुनिश्चित किया जावे।


संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(विकास खुरवाल)
 प्रबंध संचालक-सह आयुक्त
 म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
 भोपाल

क्र. - बोर्ड कार्मिक/अनु.नियु./ख/727 पार्ट-03/409
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

भोपाल, दिनांक 24/02/2022

1. विशेष सहायक माननीय, मंत्री जी, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, सह अध्यक्ष मंडी बोर्ड।
2. निज सचिव, प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3. अपर संचालक(वित्त/कार्मिक) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
4. संयुक्त संचालक/उप संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ऑचलिक कार्यालय
5. उप संचालक(वित्त) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
6. भारसाधक अधिकारी/सचिव कृषि उपज मंडी समिति, जिला.....(म.प्र.)
7. श्री/श्रीमती/कु.पिता/पति/भाई स्व.श्री निवासी
..... (म.प्र.) की ओर
भेजकर निर्देशित किया जाता है कि समस्त शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजो सहित 15
दिवस के भीतर सचिव कृषि उपज मंडी समिति,जिला.....(म.प्र.)
से संपर्क करें।


प्रबंध संचालक/सह आयुक्त
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कार्यालय, कृषि उपज मंडी समिति
.....जिला.....(म0प्र0)

कमांक/मंडी स्था./अनु.नि./

.....दिनांक

::आदेश::

म.म.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल के पत्र कमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/अनु.नि./.....दिनांक एवं मंडी समिति.....प्रस्ताव कमांक/दिनांक.....के पालन में स्व0श्री पदनाम कृ.उ.म.स.....जिला.....के पुत्र/पुत्री./श्री/श्रीमती/कु.....को कृषि उपज मंडी जिला..... में सहायक ग्रेड-3 संवर्ग के जाति वर्ग के रिक्त पद पर वेतनमान म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत लेवल 04 (19500-62000) का न्यूनतम वेतनमान 19500/- एवं अन्य भत्तों पर आगामी आदेश पर्यन्त 03 (तीन) वर्ष की परीविक्षा अवधि पर अनुकम्पा नियुक्ति, निम्न शर्तों की अधीन प्रदान की जाती है :-

1. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह के अन्दर पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होना होगा। उक्त समय अवधि समाप्त होने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।
2. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) के तहत अनुकम्पा नियुक्ति की प्रथमतः तीन वर्ष की परीविक्षा अवधि होगी।
3. परीविक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीविक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
4. कर्मचारी को भारत का नागरिक होने के नाते भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा एवं अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा के साथ करने के लिये नियमानुसार शपथ लेनी होगी।
5. प्रथम नियुक्ति के बाद उस माह का वेतन प्राप्त करने के पूर्व कर्मचारी को संबंधित जिले के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कर्मचारी का स्वास्थ्य सेवा के लिये उपयुक्त नहीं पाया गया तो कर्मचारी की सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
6. म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रं. एफ सी-15/2012/1/3 दिनांक 24 नवम्बर 2012 में जारी निर्देश के परिपेक्ष्य में शपथ-पत्र के आधार पर यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।
7. म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप कमांक सी 3-12/2013/1/3 दिनांक 29 सितम्बर 2014 अनुसार मृतक कर्मों की पत्नि को अनुकम्पा नियुक्ति उपरांत, चरित्र सत्यापन(पुलिस वेरिफिकेशन) में छूट रहेगी।
8. प्रथम नियुक्ति के समय कर्मचारी को घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह उनके द्वारा प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेज(अंकसूची/जाति प्रमाण पत्र) सत्य व सही हैं तथा सभी नियमों का पालन करेगा जो कि मंडी एवं राज्य के शासकीय कर्मचारियों पर लागू होते हैं।
9. नियुक्ति पश्चात उपस्थिति के समय प्रस्तुत शैक्षणिक अर्हता संबंधी अंकसूची/जाति प्रमाण पत्रों का संबंधित संस्था/कार्यालय से सत्यापन कराया जावेगा। यदि संबंधित कार्यालय से प्रतिकूल रिपोर्ट पाई गई तो कर्मचारी की सेवायें बिना कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
10. प्रत्येक कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति अस्थाई एवं अन्य आगामी आदेश तक मानी जावेगी। इस प्रकार ऐसे कर्मचारियों की सेवायें कभी भी एक माह की सूचना अवधि के बाद अथवा सूचना अवधि के बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी। इसी प्रकार यदि कर्मचारी अपनी अस्थाई सेवा छोड़ना चाहे तो उसे भी एक माह की सूचना अवधि में कार्य करना होगा अथवा एक माह का वेतन मंडी समिति के कार्यालय में जमा करना होगा।
11. एक माह का नोटिस दिये बिना और उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर शर्त(7)के अन्तर्गत देय राशि उनसे भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूल योग्य होगी।

12. परिचीक्षा पत्र नियुक्त कर्मचारी को नियुक्ति दिनांक से एक सप्ताह में यह अनुबंध करना होगा कि वह कम से कम तीन वर्ष तक मंडी समिति की सेवा करेगा और अनुबंध के उल्लंघन की दशा में तीन माह के वेतन एवं भत्तों की पूर्ति के रूप में नगद मंडी समिति में जमा करेगा।
13. स्थायी सेवा का कोई भी सदस्य सेवा छोड़ने या त्यागपत्र देने संबंधी आशय की सूचना तीन कलेण्डर माह की लिखित सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को दिये बिना अपनी सेवा नहीं छोड़ेगा या त्याग पत्र नहीं देगा। सेवा के किसी भी सदस्य द्वारा उपर्युक्त उपबंधों को भंग किये जाने पर वह ऐसे भंग के लिए प्रतिकार के रूप में उतनी कालावधि के जितने से कि वस्तुतः दी गई सूचना कालावधि विहित की गई कालावधि से कम पडती हो, वेतन के बराबर की रकम मंडी समिति को चुकाने का उत्तरदायी होगा।
14. नियुक्ति के लिये वांछित एवं किसी भी अभिलेख, शपथ पत्र इत्यादि में आवश्यक जानकारी का उल्लेख न होने तथा जानकारी असत्य, भ्रामक त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर बिना सूचना दिये सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
15. कार्यभार ग्रहण के दिनांक से मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 एवं तत्विषय पर राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश अनुसार प्राप्त होने वाले मासिक वेतन एवं मंहगाई भत्ते से नियमानुसार राशि परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए कर्मचारी अंशदान के रूप में कटौती की जावेगी।
16. आरक्षित वर्ग के लिये स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हो तो उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र नियुक्ति दिनांक से छः माह की अवधि में कृषि उपज मंडी समिति के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
17. यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये की जाती है। परिवीक्षा अवधि में सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों का संबंधित संस्था/कार्यालय से सत्यापन आवश्यक है। परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
18. शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से सी.पी.सी.टी परीक्षा 03(तीन) वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय अवधि में उल्लेखित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
19. कम्प्यूटर डिप्लोमा मान्यता प्राप्त निम्नलिखित संस्थाओं में से किसी एक संस्था से उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा:-
1. यू.जी.सी.द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
 2. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
 3. डी.ओ.ई.ए.सी.सी.से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा।
 4. शाकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडन ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।
 5. शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एकवर्षीय "कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट"(COPA)प्रमाण पत्र।

हस्ताक्षर

सचिव

कृषि उपज मंडी समिति

.....जिला..... (म0प्र0)

.....दिनांक.....

क्रमांक / मंडी स्था. / अनु.नि. /

प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।

1. निज सचिव प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. कलेक्टर जिला(म0प्र0)
3. अपर संचालक(कार्मिक) म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
4. संयुक्त संचालक/उपसंचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय..... (म0प्र0)
5. भारसाधक अधिकारी, कृषि उपज मंडी समिति.....जिला.....(म0प्र0)
6. लेखाधिकारी(पेंशन) मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
7. स्थापना शाखा/लेखा शाखा/व्यक्तिगत नस्ती, कृषि उपज मंडी समिति.....जिला(म0प्र0)
8. श्री/श्रीमती/कु0/.....स्व.पिता.....निवासी..... की ओर पालनार्थ।

हस्ताक्षर

सचिव

कृषि उपज मंडी समिति.

.....जिला.....(म0प्र0)